518
1/12/15

197

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 25/8/06

क्रमांक एफ 44 -12/20-2/2006

प्रति,

आयुक्त,
लोक शिक्षण,
म0प्र0भोपाल ।

विषय:- प्रदेश में नये स्कूल खोलने उन्नयन करने संबंधी मापदण्ड निर्धारण बाबत ।

-0-

प्रदेश के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नये हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने/उन्नयन किये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड संलग्न है ।

संलग्न:- परिशिष्ट एक एवं दो

अवर सचिव
म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0क्र0एफ 44-12/20-2/2006 भोपाल, दिनांक 25/8/06

प्रतिलिपि:-

1- सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल
2- सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग भोपाल
3- सचिव, म0प्र0 शासन, आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग भोपाल
4- समस्त संभागीय आयुक्त, म0प्र0
5- समस्त कलेक्टर, म0प्र0
6- समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म0प्र0
7- [illegible]

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग

(3)

ग्रामीण क्षेत्रों में हाईस्कूल व उच्चतर माध्यमिक शालाऐ खोलने हेतु वर्तमान तथा नये मापदण्ड

क्र0	मद	उच्चतर माध्यमिक विघालय			हाईस्कूल		
		वर्तमान मापदण्ड		नये मापदण्ड	वर्तमान मापदण्ड		नये मापदण्ड
		सह शिक्षा शाला	कन्या शाला	सह शिक्षा/कन्या शाला	सह शिक्षा शाला	कन्या शाला	सह शिक्षा/कन्या शाला
1	जनसंख्या	3000	6000	3000	1500	3000	2000
2	इसी प्रकार की विघमान शाला से निकटतम दूरी	5 K.M.	5 K.M.	8 K.M.	3 K.M.	3 K.M.	5 K.M.
3	पोषक शालाओं में फीडर कक्षाओं की कुल दर्ज संख्या	100	100	100	80	80	80
4	कालांतर में भवन निर्माण हेतु शासकीय/निजी (दान की) उपलब्ध भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल	2 एकड वांछनीय	2 एकड वांछनीय	2 एकड वांछनीय यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है।	2 एकड वांछनीय	2 एकड वांछनीय	2 एकड वांछनीय यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है।
5	जनसहयोग	अन्य बाते समान होने पर जन सहयोग उपलब्ध होने पर किसी स्थान को प्राथमिकता दी जायेगी।					
6	टीप	1. यदि क्षेत्र की शालाओं में कुल दर्ज छात्रा संख्या इतनी हो कि शिक्षक–छात्रा अनुपात 1:45 से अधिक हो गया हो तो दूरी की शर्त लागू नही होगी। 2. किसी शर्त विशेष को विशेष परिस्थितियों में शिथिल करने का अधिकारी आयुक्त लोक शिक्षण को होगा। 3. शाला की स्थापना करने वाली जनपद पंचायत को यह संकल्प पारित करना होगा कि वह शीघ्र ही विघालय के भवन निर्माण की व्यवस्था करेगा। हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी तथा माध्यमिक विघालय भवन हेतु विभाग से तथा प्राथमिक/कनिष्ठ विघालय हेतु जनसहयोग रा.यो. आदि के बजट से वित्तीय व्यवस्था की जायेगी।					

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

[signature/stamp] ... अधिकारी
... शिक्षा विभाग

...त्रों में हाई स्कूल तथा उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिए नये मापदण्ड

हाई स्कूल–

अनिवार्यतः

1– बसाहट से 5 कि0मीटर की परिधि में हाई स्कूल की सुविधा न होना ।
2– पोषक माध्यमिक शालाओं की कक्ष 8 वीं में छात्रों की दर्ज संख्या 80 से कम न होना ।
3– कक्षा 9 वीं में संभावित नामांकन न्यूनतम 30 होना ।
4– वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या 2000 होना ।

प्राथमिकताऍं–

1– स्कूल के लिए न्यूनतम 2 एकड जमीन होना । यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है ।
2– रूपये 10 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना । (इस राशि में विधायक निधि/सांसद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि अधोसंरचना विकास पर व्यय की जाएगी ।)

(क) हायर सेकेन्ड्री स्कूल के मापदण्ड –

अनिवार्यतः

1– बसाहट से 8 कि0मीटर की परिधि में हायर सेकन्ड्री स्कूल की सुविधा न होना ।
2– पोषक हाई स्कूल की कक्ष 10 वीं में छात्रों की दर्ज संख्या 100 से कम न होना ।
3– कक्षा 11 वीं में संभावित नामांकन न्यूनतम 30 होना ।
4– वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या 3000 होना ।

प्राथमिकताऍं–

1– स्कूल के लिए न्यूनतम 2 एकड जमीन होना । यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है ।
2– रूपये 15 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना । (इस राशि में विधायक निधि/सांसद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि अधोसंरचना विकास पर व्यय की जाएगी ।)

अवर सचिव
म0प्र0शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग